:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई सि0ख0 पुरोला के पत्र संख्या 263/पी0एम0जी0एस0वाई/सि0ख0 दिनांक 26.05.2018 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत स्वीकृत समलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/11303/2015 है जिस हेतु 4.165 है0 भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 8.330 है0 दुगुनी भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, बड़कोट द्वारा अपने पत्र संख्या 92/र0का0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण पत्रा0/2017-18 दिनांक 28.05.2018 जो उप जिलाधिकारी, बड़कोट के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है, कि सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.330 है0 सिविल सोयम भूमि के सम्बन्ध में राजस्व उपनिरीक्षक दारसौ से जांच करवायी गयी। राजस्व उपनिरीक्षक दारसौ की जांच आख्यानुसार सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम दारसौ की नॉन ज्येड.ए. खाता संख्या-24 जो उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9(3)ड. में दर्ज के खसरा सं0 2924 रक्बा 2.502, खसरा सं0 2693 रक्बा 2.136, खसरा सं0 2681 म. रक्बा 2.000, 2680 म0 1.692 है0 कुल 8.330 है0 भूमि प्रस्तावित कर खसरा, खतौनी मय नक्शा की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

शासनादेश सं0 शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिले के भीतर जिलाधिकारियों को एवं अन्तर्जनपदीय मामलों में सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधायित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

अतः तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, बड़कोट से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम दारसौ की नॉन ज्येड.ए. खाता संख्या-24 जो उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9(3)ड. में दर्ज के खसरा सं0 2924 रक्बा 2.502, खसरा सं0 2693 रक्बा 2.136, खसरा सं0 2681 म. रक्बा 2.000, 2680 म0 1.692 है0 कुल 8.330 है0 भूमि को राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट को हस्तान्तरित/नामान्तरित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

ह0/-
(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 2082/ आठ-27 (2016-17) दिनांक 23 जून, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी, बड़कोट/तहसीलदार बड़कोट।
2- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट।
3- अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।

प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

Junior Engineer, BRIDCIL-PMGSY PIU, Barkot

Resident Engineer, BRIDCIL-PMGSY PIU, Barkot

R.E

Scanned by CamScanner

नकल HZA खतौनी ग्राम दारसों, पट्टी मुगरसन्ती तहसील बड़कोट

फसली वर्ष - 1425 से 1430 तक

प्रपत्र सं० प-11

1	2	3	4	5	6	7	8
	श्रेणी 1(3) 50 खाते के बाहर की भूमि संक्रमणीय कृषक भूमि -						
24	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 1(3) 50 %	4	0.039				
		6	1.043				
		9	0.009				
		x	x				
		x	x				
		x	x				
		x	x				
		2678	3.886				
		✓ 2680म	2.822				
		✓ 2680म	2.733				
		x	x				
		x	x				
		✓ 2693	2.136				
		x	x				
		✓ 2924	2.502				
		x	x				
		1271/7.506	0.018				
	खाते का योग —	421	54.300				

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेश संख्या 70/[illegible] 27 (2016-17) दि० 23 जून 2018 के क्रम में ग्राम दारसों की HUHZA खतौनी खाता सं० 24 उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व [illegible] में दर्ज खसरा नं० 2924 रकबा 2.502, खसरा नं० 2693 रकबा 2.136, 2681म 2.520, 2680म 1.692 हे० कुल रकबा 8.850 हे० भूमि को स्थायी अभिलेखों में प्रस्तावित [illegible] प्रमुख [illegible] बड़कोट के नाम हस्तान्तरित [illegible] करने की स्वीकृति प्रदान की गई है के क्रम में तदनुसार अमलदरामद किया गया [illegible] ग्राम दारसों।

[signature] 11/3/09

दारसों बड़कोट

सत्यप्रतिलिपि।

Attested
Junior Engineer
BRIDCIL-PMGSY
PIU, Barkot

Scanned by CamScanner